

राजस्थान सरकार  
राजस्व विभाग

प्रेषित:- १। समस्त संभागीय आद्यक्त, राजस्थान ।

२। समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

३। निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

फ्रमांक:- पा। १। १। राज-६/९३/३

जयपुर, दिनांक:- १०.०४.२०००

-: परिपत्र :-

विषय:- भूमि अवार्प्त/आवश्यक अवार्प्त के मामलों में भुगतान की जाने वाली राशि स्रोत पर आयकर की कटौती करने वाला वर्ष ।

भूमि अवार्प्त के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि आयकर अधीनियम, १९६१ की धारा १५४-स्ल के अनुसार भूमि अवार्प्त के मुआवजे या उसकी बढ़ी हुई राशि या उस देय छ्याज की कूल राशि उस पित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या उससे अधिक की है तो स्रोत पर ही देय राशि पर १०% की दर से आयकर की कटौती आवश्यक रूप से की जानी चाहिए इवं ऐष राशि को भुगतान करने के माह से अगले महिने की ७ तारीख तक निर्णियत रूप से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दी जानी चाहिए ।

आयकर आद्यक्त, जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रतीलिपि संलग्न करते हुए आवश्यक निर्देशाओं के लाभ आप अपने विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों/कार्यालयों को जिनके हारा भूमि अवार्प्त पर मुआवजे पर भुगतान किया जाता है, को भिजवाने की व्यवस्था करायें ।

उल्लंघन:- उपरोक्तानुसार ।

भवतीय,  
Shiv Kumar Sharma  
शासन उप सचिव

प्रतीलिपि:- आयकर आद्यक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर को उन्दे पत्रांक २१३ दिनांक २०.१०.९९ के संदर्भ में सुधार्य प्रेषित है ।

शासन उप सचिव/२०००

गनोल्लम्